

पत्रांक सं०-15/डी०एल०ए० दरभंगा (एस० एच० 88) 222/2013

- पटना, दिनांक-

पत्रांक सं०- /डी०एल०ए० दरभंगा (एस० ~~बिहार~~ ~~सरकार~~ 88) 222/2013

- पटना, दिनांक-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या एस० ओ०, संख्या-3059/स०,

पटना दिनांक - 30-12-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम **पिरौली**, परगना धरौर, थाना अलीनगर, थाना नं०-243, अंचल-अलीनगर, जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-एस०एच०-88 वरूणापुल (एन०एच०-103) से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त गाँव-पिरौली के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 3.36 एकड़ के बराबर होता है और जिसमें दो फसला 3.11 एकड़, मकान 0.09 एकड़, आमबाग 0.05 एकड़, वासवाड़ी 0.045 एकड़ एवं अनावार सर्व साधारण 0.065 एकड़ है। ली जाने वाली भूमि का खेसरा नं० निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा - 1758, 1759, 1770, 1769, 1756, 1768, 1781, 1778, 1779, 1780, 1711, 1712, 1715, 1703, 1704, 1702, 1700, 1716, 1694, 1695, 1696, 1204, 1214, 1217, 1218, 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1266, 1268, 1269, 1271, 1272, 1282, 1202, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1076, 1075, 1074, 1048, 1047, 1040, 1039, 1038, 962, 960, 959, 488, 487, 482, 481, 480, 479, 478, 467, 454, 453, 1777, 435, 463/2091

पूर्ण खेसरा - 1771, 1772, 1776, 1701, 1697, 1698, 1699, 1273, 1274, 1275

चौहद्दी :-

उ० - 1202, 1144, 1143, 1048, 1696 वगैरह
द० - 1695, 1694, 1714, 1781 वगैरह
पू० - सीमाने शीशौनी
प० - अलीनगर चादर नं०-2

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा 4 (चार) के उपबंधों के अधीन जैसा कि (बिहार अधिनियम, 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इन से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबन्धक, (तक०) बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पी०आई०यू०, हाजीपुर सम्प्रति समस्तीपुर के पदाधिकारियों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियमों की (धारा)-4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

25/12/13
अमीन,
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।

22/10/13
अपर समाहर्ता,
दरभंगा।

24/10/13
समाहर्ता,
दरभंगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०
अवर सचिव,
बिहार सरकार।

पत्रांक सं०-¹⁵/डी०एल०ए० दरभंगा (एस० एच० 88) 222/2013 - 3059/27, पटना, दिनांक- 30-12-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।